"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 मार्च 2010—फाल्गुन 14, शक 1931

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2010

क्रमांक ई-1-1/2010/एक/2.—श्री एलेक्स व्ही. एफ. पॉल मेनन व्ही., भा.प्र.से. (2006), अनुविभागीय अधिकारी, जिला-बीजापुर की सेवायें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बीजापुर के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2010

क्रमांक ई-1-1/2010/एक/2.—सुश्री शम्मी आबिदी, भा.प्र.से. (2007), अनुविभागीय अधिकारी, गरियाबंद, जिला-रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, धमतरी के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2010

क्रमांक/एफ 1/48/दो गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री गिरिधारी नायक, भापुसे, अतिरिक्त महानिरीक्षक, एस.आई.बी./प्रशिक्षण/सी.टी.जे.डब्ल्यू. कॉलेज, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 08-12-2009 से दिनांक 11-12-2009 तक कुल 04 दिवस के लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

2. श्री गिरिधारी नायक, भापुसे, अतिरिक्त महानिरीक्षक, एस.आई.बी./प्रशिक्षण/सी.टी.जे.डब्ल्यू. कॉलेज, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गिरिधारी नायक, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2010

क्रमांक 23/184/2010/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री जी. एस. देशपाण्डे, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, रायपुर के 45 दिवसीय चिकित्सा अवकाश पर रहने के कारण, उनके अवकाश अवधि में श्री जी. एस. कालसी, कार्यपालक निदेशक, छ. ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, रायपुर को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, रायपुर का अतिरिक्त कार्यभार अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संपादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमन कुमार सिंह, सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2010

क्रमांक एफ 1-6/2010/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (1960 का क्रमांक 27) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री विवेक ढांड को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए श्रम आयुक्त नियुक्त करता है.

No. F 1-6/2010/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 (No. 27 of 1960) The State Government in supersession of all previous notification issued in this regard, appoints Shri Vivek Dhand as the Labour Commissioner for the State of Chhattisgarh.

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2010

क्रमांक एफ 1-6/2010/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री विवेक ढांड, श्रमायुक्त को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए "मुख्य संराधक" नियुक्त करता है.

No. F 1-6/2010/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 and in supersession of all previous notification issued on the subject, State Government hereby appoints Shri Vivek Dhand, Labour Commissioner to be Chief Conciliator for the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग लाल, उप-सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2010

क्रमांक 2-48/2002/12.—जिला बस्तर एवं उत्तर बस्तर कांकेर अन्तर्गत गोल्ड, डायमण्ड एण्ड एसोसिएटेड मिनरल्स के अन्वेषण हेतु 1500 वर्ग कि.मी. क्षेत्र के लिए मेसर्स बी.एच.पी. खनिज अन्वेषण प्रा.लि. के पक्ष में दिनांक 02-08-2006 से 01-08-2009 तक (03) तीन वर्ष की अवधि के लिये रिकॉनेसेन्स परमिट स्वीकृत था. उक्त स्वीकृत रिकोनेसेन्स परमिट की दो वर्ष की अवधि समाप्त होने पर कंपनी द्वारा संपूर्ण क्षेत्र का त्याग (Relinquish) करने के फलस्वरूप नीचे विवरण में दर्शित अक्षांश एवं देशांश के अन्तर्गत 1500 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र खाली हो गया है, जिसे खनिज रियायत नियमावली, 1960 के अन्तर्गत नियम 59 (1) (ii) के अन्तर्गत पुन: खनिज रियायत स्वीकृति हेतु खुला घोषित किया जाता है.

अनुसूची-एक

जिला	आवेदित क्षेत्र का अक्षांश एवं देशांश का विवरण बस्तर एवं उत्तर बस्तर कांकेर 65, E		
	बिन्दु (1)	अक्षांश (2)	देशांश (3)
बस्तर एवं उत्तर बस्तर कांकेर	A	19⁰47'10.36"	81⁰06'08.54"
	B	19⁰47'01.79"	81⁰07'40.63"
	C	19⁰44'53.68"	81⁰07'30.98"
	D	19⁰44'49.18"	81⁰09'42.99"
	E	19⁰48'45.06"	81⁰12'03.14"
	F	19⁰48'46.00"	81⁰26'39.00"
	G	19⁰51'03.45"	81⁰26'40.13"
	H	19⁰50'59.34"	81⁰34'40.23"
	I	19⁰27'48.46"	81⁰29'09.05"
	J	19⁰27'47.23"	81⁰17'43.46"

(1)	(2)	(3)
K	19⁰28'25.86"	81⁰18'17.44"
L	19⁰28'27.83"	81⁰20'18.71"
M	19⁰30'00.55"	81⁰20'18.34"
N	19⁰30'00.37"	81⁰16'02.60"
O	19⁰27'50"	81⁰16'42.54"
P	19⁰27'47.72"	81⁰10'45.38"
Q	19⁰42'53.46"	81⁰04'47.13"

2. उक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के तिथि से 30 दिवस पश्चात् खनिज रियायत के पुनः अनुदान हेतु उपलब्ध होगा.

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2010

क्रमांक 2-49/2002/12.—जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा अन्तर्गत डायमण्ड गोल्ड एण्ड एसोसिएटेड मिनरल्स के अन्वेषण हेतु 2610 वर्ग कि.मी. क्षेत्र के लिए मेसर्स बी.एच.पी. खनिज अन्वेषण प्रा.लि. के पक्ष में दिनांक 09-11-2006 को (03) तीन वर्ष की अवधि के लिये रिकॉनेसेन्स परमिट के अनुबंध का निष्पादन दिनांक 23-03-2007 को हुआ था.

2. कंपनी के अनुबंध निष्पादन की तिथि से 02 वर्ष पश्चात् स्वीकृत संपूर्ण क्षेत्र 2610 वर्ग कि.मी. का त्याग कर दिये जाने के फलस्वरूप संपूर्ण स्वीकृत क्षेत्र खाली हो गया है. खाली हुए क्षेत्र का अक्षांश, देशांश "अनुसूची-एक" में उल्लेखित है. जिसे खनिज रियायत नियमावली, 1960 के अन्तर्गत नियम 59 (1) (ii) के अन्तर्गत पुनः खनिज रियायत स्वीकृति हेतु खुला घोषित किया जाता है.

अनुसूची-एक

जिला	आवेदित क्षेत्र का अक्षांश एवं देशांश का विवरण दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 64 बी एवं 65 एफ		
	बिन्दु	अक्षांश	देशांश
	(1)	(2)	(3)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	A	18⁰48'42"	80⁰56'12"
	F	18⁰48'40.70"	81⁰09'31.47"
	G	18⁰31'01"	81⁰09'25.99"
	H	18⁰31'0.95"	81⁰18'48.71"
	I	18⁰35'22.03"	81⁰21'58.57"
	J	18⁰36'17.73"	81⁰21'27.03"
	K	18⁰37'28.82"	81⁰17'44.50"
	L	18⁰48'38.70"	81⁰17'48"
	B	18⁰48'39"	81⁰26'51"
	C	18⁰23'32"	81⁰30'03"
	D	18⁰23'31"	80⁰56'52"
	E	18⁰24'37"	80⁰56'42"

2. उक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के तिथि से 30 दिवस पश्चात् खनिज रियायत के पुनः अनुदान हेतु उपलब्ध होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2010

क्रमांक एफ 10-7/2008/वाक. (आब)/पांच (18).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 1982 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, जो राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. नियम 2 के उप-नियम (च) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम (च-1) अन्त: स्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"(च-1) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित समसंख्यक/अवलोकनीय अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5/4-84, दिनांक 26-12-1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग".

2. नियम 8 के उप-नियम 1 के खण्ड (ख) में शब्द, "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों" के स्थान पर शब्द "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग" प्रतिस्थापित किया जाए.

3. नियम 11 के उप-नियम 3 में अंक एवं शब्द "16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान क्रमश: अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए" के स्थान पर अंक एवं शब्द "16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए" प्रतिस्थापित किया जाए.

4. नियम 11 के उप-नियम (4), (5), (6) तथा उप-नियम (7) के खण्ड (2) के उप-खण्ड (ख) में शब्द "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों" के स्थान पर शब्द "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग" प्रतिस्थापित किया जाए.

5. नियम 11 के उप-नियम (6) के परन्तुक में शब्द "45 प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "50 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए.

6. नियम 12 के उप-नियम (1) में शब्द "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों" के स्थान पर शब्द "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग" प्रतिस्थापित किया जाए.

7. नियम 13 के उप-नियम 2 में अंक एवं शब्द "16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए" के स्थान पर अंक एवं शब्द "16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए" प्रतिस्थापित किया जाए.

8. नियम 13 के उप-नियम (3), (4) एवं (5) में शब्द, "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों" के स्थान पर शब्द "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग" प्रतिस्थापित किया जाए.

9. नियम 14 के उप-नियम (3) में अंक "20" के स्थान पर अंक "23" प्रतिस्थापित किया जाए.

10. नियम 15 के उप-नियम (1) में अंक "7" के स्थान पर अंक "5" प्रतिस्थापित किया जाए.

11. नियम 15 के उप-नियम (2) में शब्द "दस वर्ष" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए.

12. नियम 15 के उप-नियम (2) में शब्द "योग्यता-सह-वरिष्ठता" के स्थान पर शब्द "वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता" प्रतिस्थापित किया जाए.

13. अनुसूची एक, दो, तीन तथा चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां प्रतिस्थापित की जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 4 तथा 5 देखिये)

स. क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पुनरीक्षित वेतन बैण्ड/ ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आबकारी उप निरीक्षक	181	छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा	5200-20200/2800
2.	आबकारी मुख्य आरक्षक	71		5200-20200/2200
3.	आबकारी आरक्षक	320		5200-20200/1900

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिये)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिसके लिए भर्ती की जानी है	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों का प्रतिशत		चयन समिति के सदस्य
			नियम 6 (क) के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा	नियम 6 (ख) के अनुसार पदोन्नति द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आबकारी	आबकारी उप-निरीक्षक	181	70 प्रतिशत सीधी भर्ती 25 प्रतिशत अनुसूची पांच की योजना के अनुसार विभाग की लिपिक वर्गीय, आबकारी मुख्य आरक्षक तथा आबकारी आरक्षक सेवाओं से.	5 प्रतिशत मुख्य आरक्षकों की पदोन्नति द्वारा	अध्यक्ष—अपर आयुक्त आबकारी या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ उप आयुक्त (मुख्यालय) सदस्य—आबकारी आयुक्त द्वारा मनोनीत 2 जिला आबकारी अधिकारी.
	आबकारी मुख्य-आरक्षक	71	—	100 प्रतिशत	
	आबकारी आरक्षक	320	100 प्रतिशत		

अनुसूची-तीन
(नियम 9 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा तथा पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	आवश्यक अर्हताएं तथा शारीरिक उपयुक्तता का मापदण्ड	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	छ. ग. आबकारी सेवा तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)				
आबकारी विभाग	(क) आबकारी उप-निरीक्षक	20 वर्ष	35 वर्ष	अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त वि. वि. से स्नातक की उपाधि होनी चाहिये. न्यूनतम ऊंचाई 165 से. मी., सीने की न्यूनतम माप-81 से. मी. (सामान्य स्थिति में) 86 से. मी. फुलाने पर किन्तु महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 152.4 से.मी. होगी.	
	(ख) आबकारी आरक्षक	18 वर्ष	35 वर्ष	10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हाईस्कूल परीक्षा, न्यूनतम ऊंचाई 167.5 से. मी., सीने की न्यूनतम माप 81 से. मी. (सामान्य स्थिति में). 86 से. मी. फुलाने पर किन्तु महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 152.4 से. मी. होगी तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 165 से. मी. होगी.	

अनुसूची-चार
(नियम 14 देखिये)

विभाग का नाम	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पद जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु सेवा की अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति का नाम (नियम 14 देखिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आबकारी विभाग	आबकारी मुख्य आरक्षक	आबकारी उप निरीक्षक	पांच वर्ष	अध्यक्ष—अपर आयुक्त आबकारी या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ उप आयुक्त (मुख्यालय)
	आबकारी आरक्षक	आबकारी मुख्य आरक्षक	पांच वर्ष	सदस्य—दो उप आयुक्त, किसी एक की अनुपस्थिति में सहायक आबकारी आयुक्त (मुख्यालय)

Raipur, the 18th February 2010

No. F 10-7/2008/CT (Ex.)/V (18).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Excise Subordinate Class III (Executive) Service Recruitment Rules, 1982 with effect from the date of its publication in the Official Gazette, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules,—

1. After sub-rule (f) of Rule 2, the following sub-rule (f-1) shall be inserted, namely :—
   "(f-1) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F. 8-5-XXV-4-84, dated 26-12-1984 as amended from time to time."

2. For clause (b) of sub-rule (1) of rule 8, for the words "Scheduled Castes and Schedule Tribes" the words "Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes" shall be substituted.

3. In sub-rule (3) of rule 11, for the words and figures "16 percent and 20 percent post for Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively" the words and figures "16 percent, 20 percent and 14 percent post for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes" shall be substituted.

4. For sub-rule (4), (5), (6) and sub-clause (b) of clause (2) of sub-rule (7) of rule 11, for the words "Scheduled Castes and Scheduled Tribes" the words "Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes" shall be substituted.

5. For proviso of sub-rule (6) of rule 11, the words "Forty five percent" the words "Fifty percent" shall be substituted.

6. For sub-rule (1) of rule 12, for the words "Scheduled Castes and Scheduled Tribes" the words "Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes" shall be substituted.

7. In sub-rule (2) of rule 13, the words and figures "16 percent, 20 percent post for Scheduled Castes and Schduled Tribes" the words and figures "16 percent, 20 percent and 14 percent post for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes" shall be substituted.

8. For sub-rule (3), (4) and (5) of rule 13, for the words "Scheduled Castes and Scheduled Tribes" the words "Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes" shall be substituted.

9. For sub-rule (3) of rule 14, for the figures "20" the figures "23" shall be substituted.

10. For sub-rule (1) of rule15, for the figure "7" the figure "5" shall be substituted.

11. In sub-rule (2) of rule 15, for the words "ten years" the words "five years" shall be substituted.

12. For sub-rule (2) of rule 15, for the words "merit-cum-seniority" the word "seniority-subject to fitness" shall be substituted.

13. For Schedule I, II, III and IV, the following Schedules shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

SCHEDULE-I
(See Rule 4 and 5)

S. No. (1)	Name of Post (2)	No. of Post (3)	Classification (4)	Pay Scale/Grade Pay (Rs.) (5)
1.	Excise Sub Inspector	181	"Chhattisgarh Excise Subordinate Class III (Executive) Service	5200-20200/2800
2.	Excise Head Constable	71		5200-20200/2200
3.	Excise Constable	320		5200/20200/1900

SCHEDULE-II
(See Rule 6)

Name of Depart-ment	Name of post for which recruitment has to be done	Total No. of post	percentage of the duty post to be filled		Member of selection committee
			As per rule 6 (a) by direct recruitment	As per rule 6 (b) by promotion	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Excise	Excise Sub Inspector	181	70 percent direct recruitment 25 percent according to plan of Schedule-V from the department's ministerial Excise Head Constable and Excise Constable Services	05 percent Head Constable by promotion	Chairman— Additional Commissioner Excise or in his absence Senior Deputy Commissioner (Head Quarter) Member— 02 District Excise Officer nominated by Excise Commissioner.
	Excise Head Constable	71		100 percent	
	Excise Constable	320	100 percent		

SCHEDULE-III
(See Rule 9)

Name of Department	Name of service and post	lower age limit	upper age limit	Essential Qualification and standard of physical fitness	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	C. G. Excise Service Class-III (Executive)				
Commercial Tax (Excise)	(a) Excise Sub Inspectors	20 years	35 years	A candidate must hold a bachelor degree from any recognised University. Minimum height 165 c.m., minimum	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				chest measurement 81 c.m. (normal condition) 86 c.m. on expansion but for female candidate minimum height shall be 152.4 c.m.	
	(b) Excise Constable	18 years	35 years	High School examination under 10+2 Education system minimum height 167.5 c.m., minimum chest measurement 81 c.m. (normal condition) 86 c.m. on expansion but for female candidate minimum height 152.4 c.m. and for scheduled tribe candidate minimum height shall be 165 c.m.	

SCHEDULE-IV
(See Rule 14)

Name of Depart-ment (1)	Post from which promoted (2)	Post to be filled by promotion (3)	Period of service for promotion (4)	Name of Departmental Promotion committee (See Rule 14) (5)
Commercial Tax (Excise)	Excise Head Constable	Excise Sub Inspectors	five years	Additional Commissioner Excise—Chairman or in his absence Senior Deputy Commissioner (Headquarter)
	Excise Constable	Excise Head Constable	five years	02 Deputy Commissioner—member, in absence of anyone Assistant Excise Commissioner (Head Quarter)

जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2010

क्र. एफ 1-06/09/प.अधि.नि./चौबीस.—विभागीय आदेश क्रमांक 1176 एच/जसंसं/2001, दिनांक 24-4-2001 द्वारा राज्य के समाचार पत्र प्रतिनिधियों को अधिमान्यता दिये जाने विषयक राज्य अधिमान्यता नियम 2001 अधिसूचित किया गया था.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य समाचार पत्र प्रतिनिधि अधिमान्यता अधिनियम नियम 2001 के कंडिका 14 (2) के 3. रायपुर के पश्चात् 4. सरगुजा प्रतिस्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभय कुमार मिश्रा, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 15 फरवरी 2010

क्रमांक/122/अ.वि.अ./भू-अर्जन/05/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	कोशरंगी प. ह. नं. 80	0.20	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु संभाग, रायपुर.	कोशरंगी खट्टी मार्ग कि.मी. 1/10 पर पुलिया निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 15 फरवरी 2010

क्रमांक/123/अ.वि.अ./भू-अर्जन/04/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	केशवा प. ह. नं. 86	0.16	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु संभाग, रायपुर.	केशवा खट्टी मार्ग कि.मी. 4/8 पर पुलिया निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, कलक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 15 फरवरी 2010

क्रमांक/124/अ.वि.अ./भू-अर्जन/05/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  - (क) जिला-महासमुन्द
  - (ख) तहसील-महासमुन्द
  - (ग) नगर/ग्राम-तुमगांव, प. ह. नं. 83
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.983 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	3446	0.332
	3449/1	0.651
योग	2	0.983

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- गाड़ाघाट एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.